



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29072024-255849
CG-DL-E-29072024-255849

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2861]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 26, 2024/श्रावण 4, 1946

No. 2861]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 26, 2024/SHRAVANA 4, 1946

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2024

का.आ. 3002(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, १९५६ (१९५६ का ४८) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात कि महाराष्ट्र राज्य के जालना जिले में राष्ट्रीय महामार्ग संख्या ७५३ एच के कि.मी. ८+०००, से कि.मी. ३५+४८८ तथा कि.मी. ३+३०० पर तीन नये पुलों के निर्माण का अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (१) के अधीन पूर्वोक्त के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उपविभागीय अधिकारी अंबड को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें आधार अधिकृत किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधी व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे आक्षेपों की सुनवाई के पश्चात तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञप्त कर सकेगा या अननुमात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा ३ग की उपधारा (२) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा और इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यरि सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध है और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के जालना जिले में राष्ट्रीय महामार्ग संख्या ७५३ एच के कि.मी.८+०००, से कि.मी. ३५+४८८ तथा कि.मी. ३+३०० पर तीन नये पुलों के निर्माण के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना भूमि का संक्षिप्त विवरण ।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: जालना		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: अंबड					
गांव का नाम: दाढेगाव					
1	16	निजी	कृषिभूमी	0.121 (हेक्टेयर)	0.121
2	37	निजी	कृषिभूमी	0.0781 (हेक्टेयर)	0.0781
गांव का नाम: शाहपूर					
3	10	निजी	कृषिभूमी	0.1141 (हेक्टेयर)	0.1141
4	11	निजी	कृषिभूमी	0.0351 (हेक्टेयर)	0.0351
गांव का नाम: माठ पिंपळगांव					
5	50	निजी	कृषिभूमी	0.004 (हेक्टेयर)	0.004
6	51	निजी	कृषिभूमी	0.169 (हेक्टेयर)	0.169
कुल योग					0.5213

[फा. सं. RO/MUM/NH(O)/2023-24/12/3A1]

अभय जैन, उप-सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th July, 2024

S.O. 3002(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for Construction of three major bridges at Ch.8+000, Ch.35+488 and Ch.3+300 of National Highway No. 753H in the district Jalna in the State of Maharashtra, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, Sub Divisional Officer Ambad in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structures falling within the stretch of land from Ch.8+000, Ch.35+488 and Ch.3+300 of the National Highway No. 753H in District Jalna in the State of Maharashtra.

State: MAHARASHTRA			District: Jalna		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Ambad					
Village: Dadhegaon					
1	16	Private	Agriculture	0.121 (Hectare)	0.121
2	37	Private	Agriculture	0.0781 (Hectare)	0.0781
Village: Shahapur					
3	10	Private	Agriculture	0.1141 (Hectare)	0.1141
4	11	Private	Agriculture	0.0351 (Hectare)	0.0351
Village: Math Pimpalgaon					
5	50	Private	Agriculture	0.004 (Hectare)	0.004
6	51	Private	Agriculture	0.169 (Hectare)	0.169
Total					0.5213

[F. No. RO/MUM/NH(O)/2023-24/12/3A1]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.